न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 17/2022 (राजस्व अपील)
GCMS No. 2022/24

अनवान

1. श्री डिंगजी पिता पेमजी डांगी, निवासी सिंगपुर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
2. श्री लालू पिता पेमजी डांगी, निवासी सिंगपुर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. पटवारी, पटवार हल्का झल्लारा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री हर्षद जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अपील विरूद्ध न्यायालय उपतहसीलदार झल्लारा, प्र.स. 09/2022 दिनांक 09.02.2022

* निर्णय *

दिनांक— 16-03-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपतहसीलदार झल्लारा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 09.02.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व ग्राम सिंगपुर की आराजी संख्या 1115 रकबा 0.40 हेक्टेयर पर किस्म चारागाह से अपीलान्ट्स को बेदखल करने एवं 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड़ से दण्ड़ित करने का आदेश पारित किया है, जिससे व्यथित होकर उनके द्वारा इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अपीलान्ट्स अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते है। अपीलान्ट्स स्वयं एवं परिवार के जीविकोपार्जन के लिये मात्र कृषि पर निर्भर हैं। विवादित भूमि पर अपीलान्ट्स का स्थायी कब्जा नहीं हैं। उक्त कार्यवाही मात्र शिकायत के आधार पर की गई हैं। अपीलान्ट्स द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयत्न किया गया है। उक्त भूमि अपीलान्ट्स के पक्ष मे नियमन/आवंटन योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया [illegible] विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण के पृथक से जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.21 14:39:11 IST
Reason: SelfAttested

किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। उपतहसीलदार झल्लारा से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 09/2022 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपतहसीलदार झल्लारा द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुए भूमि का पशुओ के चराने एवं कृषि कार्य हेतु उपयोग मे लेना, सुनवाई का अवसर न देना, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का संकलन न करना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि अपीलान्ट्स भू माफिया न होकर गरीब कृषक है एवं जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि है उनके द्वारा राजकीय भूमि को नुकसान पहूँचाने का कोई कृत्य नहीं किया हैं। अपीलान्ट्स के विरूद्ध उक्त कार्यवाही द्वेषतापूर्वक की गई हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

बहस मे भाग लेते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्व ग्राम सिंगपुर, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 1115 रकबा 0.40 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा नाजायज कब्जा करने की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार झल्लारा को प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार सुनवाई कर अपीलान्ट्स को भूमि से बेदखल करने एवं 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड़ से दण्ड़ित करने का आदेश प्रदान किया है, जो नियमानुसार हैं। भूमि की किस्म चारागाह है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसी भूमियों पर किये जाने वाले आवंटन को अवैध माना हैं। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि का नियमन अपीलान्ट्स के पक्ष मे नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जावें एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2022 को यथावत रखा जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार झल्लारा से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व ग्राम सिंगपुर, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 1115 रकबा 0.40 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त अपीलान्ट्स को भूमि से बेदखल करने एवं 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड़ से दण्ड़ित करने के आदेश पारित किये हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि पूर्व मे भी कथित आराजी पर अपीलान्ट्स द्वारा अतिक्रमण करने से प्रकरण संख्या 727/2020 एवं 804/2021 मे पारित निर्णय द्वारा अतिक्रमियों को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, परन्तु पुनः अपीलान्ट्स द्वारा तीसरी बार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Bunkar
Date: 2022.03.21 14:39:11 IST
Reason: Self Attested

अतिक्रमण किया गया है अर्थात अपीलान्ट्स अतिक्रमण करने के आदी हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज होने पर विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमियों को स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटाने का अवसर भी दिया गया है, किन्तु स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण न हटाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अतिक्रमियों को बेदखल करने एवं 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड़ से दण्ड़ित करने का समुचित आदेश पारित किया हैं।

मामले मे यह उल्लेखनीय है कि भूमि की किस्म चारागाह हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 अनुसार चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते हैं। राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप 6) विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प.10(3)राज–6/2001/15 दिनांक 17.04.2013 मे यह स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न. 1132/2011@SLP(C)No. 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 मे चारागाह भूमियों/जोहड़–पायतन और तालाबों की भूमियों मे से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त वर्णित निर्णय के क्रम मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड़ बाबत् जारी किया गया आदेश नियमानुसार पाया जाता है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार झल्लारा, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2022 को यथावत रखा जाता है। साथ ही उप तहसीलदार झल्लारा को निर्देश प्रदान किये जाते है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे यदि चारागाह भूमि पर और भी ऐसे अतिक्रमण हो तो ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमियों के विरूद्ध भी धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.21 14:39:11 IST
Reason: SelfAttested